



“उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद”
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा (निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय)
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष 0135- 2781941, 2781942, 2781943
website: <http://ssa.uk.gov.in>
email - spd-ssa-uk@.nic.in

आदेश संख्या:- रा0प0का0/2428 /प्रशा0-नियु0-चयन/2015-16 दिनांक 31 मार्च, 2015

“कार्यालय आदेश”

निम्नांकित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 31 मार्च, 2016 अथवा परियोजना समाप्ति, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए “उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद” के अधीन स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालयों में रिक्त समन्वयक, वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4800 के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान की जाती है। कार्यों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम/शासनादेश प्रभावी होंगे।

| क्र0 सं0 | नाम | वर्तमान धारित पद/विद्यालय/कार्यालय का नाम | तैनाती हेतु आवंटित कार्यालय |
|----------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | श्री मदन मोहन जोशी | प्रवक्ता, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, देहरादून | राज्य परियोजना कार्यालय, एस0एस0ए0, उत्तराखण्ड देहरादून |
| 02 | श्री हरिनारायण पाण्डेय | प्रवक्ता, रा0इ0का0, गजरौला, ऊधमसिंहनगर | जि0प0का0, अल्मोड़ा |
| 03 | श्री गौरीशंकर काण्डपाल | प्रवक्ता, रा0इ0का0, गुनियालेख, नैनीताल | जि0प0का0, चम्पावत |
| 04 | श्री सन्तोष सिंह | प्रवक्ता, रा0इ0का0, तरपालीसैण, पौड़ी | जि0प0का0, पौड़ी |
| 05 | श्री विनोद कुमार यादव | प्रवक्ता, रा0इ0का0, श्रीकोट, टिहरी | जि0प0का0, रूद्रप्रयाग |
| 06 | श्री आलोक मिश्रा | प्रवक्ता, रा0इ0का0, गुनियालेख, नैनीताल | जि0प0का0, ऊधमसिंहनगर |

यह प्रतिनियुक्ति नितांत अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति अवधि में कार्मिक का धारणाधिकार (लियन) उनके मूल विभाग में सुरक्षित रहेगा।

ह0/
(डी0 सेन्थिल पाण्डेयन)
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

पू0सं0- रा0प0का0/2428 /प्रशा0-नियु0-चयन/2015-16 तददिनांकित।
प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।

7. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
8. जिला परियोजना अधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित समन्वयक को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवाते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रधानाचार्य, सम्बन्धित राजकीय इण्टर कालेज।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
11. कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
12. सम्बन्धित कार्मिकों को इस आशय से प्रेषित कि 15 दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।



(डॉ० मुकुल कुमार सती)

अपर राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।